

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 271A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

सुकरा होआवेदक/विक्रेता

बनाम

बिन्दु सरदार.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

27-6-2020

विक्रेता

:- सुकरा हो पिता नाथु हो, ग्राम-दुधी, थाना-सरायकेला, सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-हो।

क्रेता

:- बिन्दु सरदार पति स्व० त्रिभूवन सरदार, ग्राम-साहेबगंज, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-भूमिज।

विक्रेता द्वारा दिनांक 24.03.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता बिन्दु सरदार पति स्व० त्रिभूवन सरदार, ग्राम-साहेबगंज, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

| मौजा | थाना /थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| खडगवाद | सरायकेला /256 | 7 | 43 | 0.05एकड़ |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 501 दिनांक 12.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पितामह स्व० फतो हो के नाम से पंजी-II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पितामह एवं पिता के मृत्यु पश्चात् हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-2.32½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'हो' एवं 'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।




लगातार.....2


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता सुकरा हो पिता नाथु हो, ग्राम-दुधी, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता बिन्दु सरदार पति स्व० त्रिभूवन सरदार, ग्राम-साहेबगंज, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.05एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।